

प्रेषक,

पी०सी०शर्मा,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-1

दिनांक: देहरादून 20 मार्च, 2008

विषय:- खनिज नीति 2001 में आवश्यक संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 5961/VII-I-07/14-ख/2005 दिनांक 05 नवम्बर 2007 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रभावित होने वाले स्टोन केशरों आदि इकाईयों के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने से पूर्व प्रभावित होने वाले स्टोन केशरों इत्यादि इकाईयों की जाँच करते हुये अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराये जाने हेतु पत्रांक दिनांक 16 नवम्बर 2007 के द्वारा निर्देशित किया गया था।

प्रश्नगत विषय में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रभावित होने वाले स्टोन केशरों आदि इकाईयों के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने से पूर्व प्रभावित होने वाली इकाईयों के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से 30 अप्रैल 2008 तक शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी०सी०शर्मा)
प्रमुख सचिव

पुष्टांकन संख्या 1512/VII-I/14 ख/2005/TC-2/08

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— मण्डलायुक्त कुमाऊं मण्डल नैनीताल/गढवाल मण्डल पीडी।
- 3— निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
- 4— निजी सचिव, मा० औद्योगिक विकास मंत्री जी (मा० मुख्यमंत्री जी) उत्तराखण्ड।
- 5— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6— अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
- ✓ 7— निदेशक, एन०आ०इ०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8— ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
- 9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(पी०सी०शर्मा) २०/८
प्रमुख सचिव